न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गांवों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 41/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अमवाव

1 हिन्दू पिता छोटू कीर उम्र–वयस्क निवासी खेड़ा राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

...... प्रार्थी

बनाम

1 गुमानी पत्नि गोपाल गुर्जर उम्र–वयस्क निवासी खेड़ा राजपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2 मथुरा पत्नि मोहनलाल कुमावत उम्र–वयस्क निवासी गेगा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
3 रामचन्द्र पिता बख्तावर कीर उम्र–वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
4 हजारी पिता बख्तावर कीर उम्र–वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
मृतक के विधिक वारिस–
4/1 लादू पिता हजारी कीर उम्र–वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
5 शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक शाखा सांगरिया तहसील फुलियाकलां
6 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोठिया तहसील फुलियाकलां
7 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्रीमती मदीना बानू ——अभिभाषक प्रार्थी
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 14.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 12.04.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 1001 के आराजी संख्या 1810, 1814, 1815, 1816 प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी के स्वयं की सहखातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी शुरूआत से अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 1810, 1811, 1810/3532, 1811/3533 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की सहखातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु विपक्षीगण की खातेदारी/सहखातेदारी आराजी संख्या 1810, 1811, 1810/3532, 1811/3533 की मेड के सहारे सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 12.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप दिनांक 14.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विरुद्ध विपक्षीगण संख्या 01 से 06 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। न्यायालय ने धारा 151 जा.दी. के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक पक्षकार विपक्षी संख्या 04 के स्थान पर विधिक वारिस को क्रम 4/1 पर शिविर में संयोजित किया। वहीं मौजूद नवीन पक्षकार ने कोई उजर आपत्ति नहीं व्यक्त करते हुए, प्रार्थनापत्र प्रार्थी मंजूर किये जाने में सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित किये। शिविर में उपस्थित प्रार्थी पक्ष ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में भू.अ.निरीक्षक धनोप द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु *ग्राम धनोप प.ह.क्षेत्र धनोप स्थित आराजी संख्या 1810 रकबा 0.43 में से 0.0138 हैक्ट. (138 वर्गमीटर) (76 मीटर गुणा 1.82 मीटर) आराजी संख्या 1811 रकबा 0.40 में से 0.0138 हैक्ट. (138 वर्गमीटर) (76 मीटर गुणा 1.82 मीटर) आराजी संख्या 1810/3532 रकबा 0.07 में से 0.0047 (47 वर्गमीटर) (26 मीटर गुणा 1.82 मीटर), आराजी संख्या 1811/3533 रकबा 0.46 में से 0.0047 (47 वर्गमीटर) (26 मीटर गुणा 1.82 मीटर)* सुगमतम एवं निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थी 01 से 04 को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिव्यक्ति है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। भू.अ.निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को विपक्षीगण की खातेदारी/सहखातेदारी आराजी संख्या 1810, 1811, 1810/3532, 1811/3533 में से 0.0370 हैक्ट. (370 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पड़ौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नहीं उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड़ सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणों ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगण को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु भू.अ. निरीक्षक धनोप द्वारा *ग्राम धनोप प.ह.क्षेत्र धनोप स्थित आराजी संख्या 1810 रकबा 0.43 में से 0.0138 हैक्ट. (138 वर्गमीटर) (76 मीटर गुणा 1.82 मीटर) आराजी संख्या 1811 रकबा 0.40 में से 0.0138 हैक्ट. (138 वर्गमीटर) (76 मीटर गुणा 1.82 मीटर) आराजी संख्या 1810/3532 रकबा 0.07 में से 0.0047 (47 वर्गमीटर) (26 मीटर गुणा 1.82 मीटर), आराजी संख्या 1811/3533 रकबा 0.46 में से 0.0047 (47 वर्गमीटर) (26 मीटर गुणा 1.82 मीटर)* निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके *ग्राम धनोप प.ह.क्षेत्र धनोप स्थित आराजी संख्या 1810 रकबा 0.43 में से 0.0138 हैक्ट. (138 वर्गमीटर) (76 मीटर गुणा 1.82 मीटर) आराजी संख्या 1811 रकबा 0.40 में से 0.0138 हैक्ट. (138 वर्गमीटर) (76 मीटर गुणा 1.82 मीटर)*

ह./-
उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

आराजी संख्या 1810/3532 रकबा 0.07 में से 0.0047 (47 वर्गमीटर) (26 मीटर गुणा 1.82 मीटर), आराजी संख्या 1811/3533 रकबा 0.46 में से 0.0047 (47 वर्गमीटर) (26 मीटर गुणा 1.82 मीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल-दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 (आराजी संख्या 1810, 1811, 1810/3532, 1811/3533 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0370 हैक्टेयर मालियत राशि की तिगुनी राशि 26,202/- रूपये (0.0370 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
उप खण्ड अधिकारी जिला भीलवाड़ा
फुलिया कलां (भील.)

प्रतिलिपि-

1- तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)